212

2/RM/08
19-11-08

R 1536-III/08

क्रमांक 2125 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 22-11-08 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय

राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र०क्र० /०८-०९ निगरानी

१: कमलाबाई पिता कंवरलालजी पाटीदार धंधा कृषि निवासी नारायणगढ़ तह०मल्हारगढ़

२: दुर्गाबाई पति कारूलाल पाटीदार धंधा कृषि नि०नारायणगढ़ तह०मल्हारगढ़ जिला मंदसौर ---- आवेदकगण

विरुद्ध

नाथ योगी समाज नारायणगढ़ द्वारा अध्यक्ष शिवनाथ आ० मोहननाथ नि०नारायणगढ़ तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर म०प्र० ---- अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५०म०प्र० भु रा०संहिता १९५९ बमामले प्र०क्र०५ ६३।अपील।०४-०५में अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा दिनांक २२।८।०८को पारित आदेश दिनांक के विरुद्ध

माननीय महोदय,

सेवा में आवेदकगण की ओर से अपर आयुक्त उज्जैन के द्वारा प्र०क०७अ।६५।०४-०५ में कलेक्टर मन्दसौर के द्वारा भूमि सर्वे क्र०२६६६ पैकि ११-९५१ हे० जिसको राजस्व कागजात में नोईयत गुव्हा के रूप में अंकित है उक्त भूमि में से ०-५००आरी भूमि नाथ योगी समाज नारायणगढ़ के श्मशान (समाधी स्थल) हेतु दिनांक ७।३।०५ को किसी भूमि की नोईयत धारा २३४ म०प्र० भु रा०संहिता १९५९ के प्रावधानों का पालन किये भूमि नाथ योगी समाज नारायणगढ़ के श्मशान (समाधी स्थल) हेतु सुरक्षित रखते हुए आवण्टित कर दी जिसके विरुद्ध आवेदकगण के द्वारा कलेक्टर मन्दसौर के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त करते, हुए आदेश स्थिर रखने से दुखित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर सम्यावधी में प्रस्तुत है :-

पुनरीक्षण के मुख्य आधार

१: यह कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधी विधान के विपरीत होकर निरस्ती के योग्य है।

२: यह कि भूमि सर्वेक्र०२६६६पैकि ११-९५१ हे० भूमि जोकि राजस्व अभिलेख

पृष्ठ २

212

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

137

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/1536/तीन/2008/ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 21/12/2016 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	